निर्णय न्यायालय रमेश चन्द्र अग्रवाल, आर0ए0एस0, उपजिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
51/2011	4.7.2011	8.5.2012

1. सीताराम पुत्र भौरया, माली निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
2. कमलेश पुत्र भौरया, माली निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
3. मु0 सूकी बेवा भौरया, माली निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी ——सायलान

बनाम

1. श्री पुत्र कलुआ, माली, बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. बुद्धा पुत्र भौरया, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
3. सरदार पुत्र बुद्धा, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
4. रूपसिंह पुत्र बुद्धा, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
5. लक्ष्मण पुत्र बुद्धा, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
6. रामराज पुत्र कलुआ,माली निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
7. खिल्लू पुत्र भोरया,माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
8. रामसिंह पुत्र खिल्लू,माली निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
9. लाला पुत्र खिल्लू, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
10. गोपी पुत्र भोरया, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
11. श्यामलाल पुत्र गोपी,माली,निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
12. संतरा पत्नि श्री, माली निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
13. मुक्ता पत्नि सरदार,माली निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
14. विमला पत्नि रूपसिंह,माली,निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव,तहसील गंगापुर सिटी
15. हेमलता पत्नि लक्ष्मण,माली,निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव,तहसील गंगापुर सिटी
16. नामालुम पत्नि लाला,माली,निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
17. छोटी बेवा कलुआ, माली,निवासी बंदाणा की ढाणीं, नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
18. चम्पादेवी पत्नि बुद्धा,माली,निवासी बंदाणा की ढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
19. मंगलीदेवी पत्नि खिल्लू,माली,निवासी बंदाणाकीढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
20. कम्पूरीदेवी पत्नि गोपी,माली,निवासी बंदाणाकीढाणीं,नौगांव तहसील गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री रमेश चन्द गुप्ता, एडवोकेट, सायलान की ओर से
श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि सायलान की आराजियात ख0नं0 1112 रकबा 56 एयर, 1116 रकबा 10 एयर, 1117 रकबा 13 एयर, 1118 रकबा 9 एयर ग्राम अरनिरूा में स्थित है । ख0नं0 1118 रकबा 9 एयर को छोड बाकी तीनों नम्बरान गैरसायलान 18 ता 21 को बेचान कर दी तथा कब्जा उन्हें संभला दिया । ख0नं0 1118 को सायलान काश्त करते चले आ रहे हैं । इसके बासपास अन्य भूमि भी सायलान के भाई बन्धु व सायलान की है परन्तु गैरसायलान उक्त तीनों नम्बरान की आड में सायलान की अन्य भूमि को हडप करना चाहते हैं । दिनांक 3.7.11 को सायलान अपनी इस भूमि से निराई करने गए तो समस्त गैरसायलान जो एक ही परिवार के लोग हैं, सायलान के खेत पर आ गए और कहने लगे हमने चारो नम्बर खरीदे हैं इसलिए इस भूमि को भी हम ही काश्त करेंगे । सायलान ने कहा कि रजिस्ट्री तो तीन नम्बरों की ही कराई है तो गैरसायलान कहने लगे हम रजिस्ट्री, जमाबंदी आदि को नहीं जानते हैं हम तो पूरी जमीन ही काश्त करेंगे । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि ख0नं0 1118 रकबा 9 एयर ग्राम अरनिया के उपयोग उपभोग में सायलान को बाधा नहीं डालें न किसी अन्य से डलवावें ।

उप जिला कलेक्टर

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया ।

गैरसायलान ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ख0नं0 1118 के आसपास की भूमि सायलान की नहीं है बल्कि सिवायचक भूमि है जिस पर सायलान जबरन कब्जा करना चाहते हैं । इसीलिए उन्होने यह झूंठा मुकदमा पेश किया है । सायलान ने ख0नं0 1118 के आसपास के नम्बर इसीलिए दर्ज नहीं किए हैं क्योंकि वे सिवायचक नम्बर हैं । दिनांक 3.7.2011 को सायलान व गैरसायलान के मध्य कोई बात नहीं हुई । सायलान ने गैरसायलान को हैरान व परेशान करने के लिए गलत तथ्य अंकित किए हैं । अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस पेश की है ।

जबाब के समर्थन में गैरसायलान की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई ।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने का निवेदन किया है ।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 के अनुसार ख0नं0 1118 रकबा 9 एयर ग्राम अरनिया सायलान की खातेदारी में दर्ज है । गैरसायलान ने इस खसरा नम्बर पर अपना कोई उज्र भी पेश नहीं किया है । चूंकि विवादित भूमि सायलान की खातेदारी में दर्ज है एवं जब तक अन्यथा सिद्व नहीं हो, इस भूमि पर कब्जा खातेदार का ही माना जावेगा । इसलिए इस भूमि के कब्जे काश्त में सायलान को बाधा पहुंचाने का गैरसायलान को कोई अधिकार नहीं है । फलस्वरूप सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः भूमि ख0नं0 1118 रकबा 9 एयर ग्राम अरनिया के बाबत सायलान द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में सायलान को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रमेश चन्द अग्रवाल)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी